<u>विश्राम कक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली।</u>

<u>आदेश</u>

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेषन सं. 118/Admin.(Services)2025 Dated:Allahabad. April 08,2025 के अनुपालन में न्यायिक अधिकारियों के इस जजषिप में कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप फौजदारी न्यायिक कार्य को सुचारू रूप से चलाये जाने के उद्देष्य से माननीय जनपद न्यायाधीश, रायबरेली के विचार विमर्ष व अनुमति से C.L..N0.06/Main-B/Admin .(A-3);Allahabad: Dated: 24.01.2017 एवं दण्ड प्रकिया संहिता 1973 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व कार्य वितरण आदेश दिनांकित 11.04.2025 को निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 11.04.2025 के पूर्व से प्रचलित कार्य वितरण आदेष को निम्नलिखित प्रकार से संषोधित किया जाता है, जो माननीय जनपद न्यायाधीश, रायबरेली के अनुमोदनोपरान्त प्रभावी होगा।

1. थाना ऊंचाहार से सम्बन्धित पुलिस चालानी व परिवाद से सम्बन्धित मामलों का क्षेत्राधिकार नियमानुसार निस्तारण हेतु न्यायालय **प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली से न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (सि. डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली** को प्रदान किया जाता है।

2. थाना डीह से सम्बन्धित पुलिस चालानी व परिवाद से सम्बन्धित मामलों का क्षेत्राधिकार नियमानुसार निस्तारण हेतु न्यायालय तृतीय **अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली से न्यायालय अश्टम् अपर सिविल जज (जू. डि.)/अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली** को प्रदान किया जाता है।

संषोधन अनुमोदन के पश्चात् जजी, रायबरेली में कार्यरत् फौजदारी न्यायिक अधिकारियों का कार्यक्षेत्र/क्षेत्राधिकार इस प्रकार होगा।

पीठासीन अधिकारी/न्यायालय का नाम	**क्षेत्राधिकार का विवरण**
पवन कुमार सिह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबेरली	थाना कोतवाली नगर, मिल एरिया व बछरावा से सम्बन्धित पुलिस चालानी का क्षेत्राधिकार। समस्त जिले का पंचायत अधिनियम, श्रम अधिनियम, बाल–श्रम अधिनियम, ड्रग्स अधिनियम, कारखाना अधिनियम एवं सम्पूर्ण जिले का आबकारी अधिनियम का क्षेत्राधिकार। सम्पूर्ण जिले के गम्भीर मामलों के वादों (यथा अन्तर्गत धारा 302, 304, 304बी, 395, 396, 397 भा.द.सं. व नई संहिता के अन्तर्गत धारा 103(1), 105, 80, 310(2), 310(3), 311 भारतीय न्याय संहिता) से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित मामलो के कमिटल का क्षेत्राधिकार तथा सरकारी एव राजपत्रित अधिकारियो से सम्बन्धित 156(3) द.प्र.स./173(4) भारतीय नागरिक न्याय संहिता के मामलो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। जिले से सम्बन्धित समस्त प्रकार के मोटर वाहन अधिनियम, 207 मोटर वाहन अधिनियम के मामले/ई–चालान व ए.आर.टी.ओ. (काराधन के मामलो को छोड़कर) का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
श्रीमती अनीषा प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,रायबरेली।	थाना महराजगंज व हरचन्दपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं सम्पूर्ण जिले के आर्थिक अपराध से सम्बन्धित पुलिस चालानी व परिवाद पर आधारित मामले, ए.आर.टी.ओ. से सम्बन्धित टैक्स के मामले, बाट–मॉप अधिनियम, 3/7 आवष्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित मामलो का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
श्री आमोद कण्ठ, प्रथम अपर सिविल जज (सि.डि.) /अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली	थाना ऊंचाहार से सम्बन्धित पुलिस चालानी एव परिवाद पर आधारित मामलो का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

श्री प्रभाश त्रिपाठी द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,रायबरेली	थाना सरेनी, नसीराबाद तथा गुरूबक्षगंज पर आधारित पुलिस चालानी एव परिवाद पर आधारित मामले तथा कोआपरेटिव सेल से सम्बन्धित मामलो का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
श्रीमती सिद्दीकी साईमा जरार आलम तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,रायबरेली	थाना सलोन, की पुलिस चालानी एवं परिवाद तथा सी.बी.सी.आई.डी से सम्बन्धित मामलो का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
डा. विवेक कुमार ।। चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,रायबरेली	थाना लालगंज, खीरो, षिवगढ़ व एम.पी.एम.एल ए. से सम्बन्धित पुलिस चालानी एव परिवाद पर आधारित मामलो का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
श्री स्वप्निल पाण्डेय, पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,रायबरेली	थाना डलमऊ, गदागंज, भदोखर व साईबर क्राईम से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित मामलो का क्षेत्राधिकार।
श्रीमती रेखा विष्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम	प्रिसिपल मजिस्ट्रेट, जे.जे.बी
सुश्री ज्योति प्रकाष सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय	थाना षिवरतनगंज, इन्हौना, जायस से सम्बन्धित पुलिस चालानी एव परिवाद के साथ–साथ थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित परिवाद पर आधारित मामलो का भी क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
श्रीमती श्रेया सोलंकी प्रथम अपर सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,रायबरेली।	थाना मोहनगंज, महिला थाना व जी.आर.पी. थाना से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित मामलो का क्षेत्राधिकार।
श्री षिवम वर्मा द्वितीय अपर सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,रायबरेली।	थाना जगतपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी तथा थाना जगतपुर व थाना मिल एरिया के परिवाद पर आधारित मामलो का क्षेत्राधिकार।
श्री षमवील रिजवान तृतीय अपर सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली।	थाना फुरसतगंज से सम्बन्धित पुलिस चालानी तथा थाना फुरसतगंज व थाना बछरावां से सम्बन्धित परिवाद पर आधारित मामलो का क्षेत्राधिकार।
श्री मनु गुप्ता अष्ठम अपर सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,रायबरेली।	थाना डीह की पुलिस चालानी तथा परिवाद से सम्बन्धित मामलो का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

कार्य वितरण आदेश के अनुसार सम्बन्धित न्यायालय के कर्मचारीगण पत्रावली की सूची बनाकर सम्बन्धित न्यायालय को अन्तरित करना सुनिश्चित करें तथा सी0आई0एस0 के माध्यम से भी पत्रावली का स्थानान्तरण क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालयों में स्थानान्तरित करना सुनिष्चित करें। उक्त दोनों प्रकार की अन्तरण प्रक्रिया एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करना सुनिष्चित करें।

ऐसे मामले जिनका उल्लेख कार्य वितरण आदेष में नहीं है, उसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) को रहेगा।

यह आदेश उन पत्रावलियों पर लागू नहीं होगा जो माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश से किसी न्यायालय में चल रही है, तथा जो पूर्व के किसी आदेश से अन्य न्यायालय में चल रही है, उन पर भी लागू नहीं होगा।

उक्त कार्य वितरण आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनोपरान्त प्रभावी होगा।

दिनॉक– 17.04.2025

(पवन कुमार सिह–I)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायबरेली